निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 552/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

छोटूराम पुत्र रूघनाथ जाति कुमावत, निवासी बबेरवालों की ढ़ाणी, बाकली कोठी तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर।
2. रूघनाथ पुत्र रूपा,
3. ताराचंद पुत्र रूघनाथ,
4. लालाराम पुत्र रूघनाथ,

जाति कुमावत निवासी बबेरवालों की ढ़ाणी, बाकली कोठी, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

5. अंशु जैन पुत्री निर्मल कुमार सेठी, निवासी ए–169, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर।
6. तारामणी जैन पत्नी रमेश चंद जैन, निवासी मुरलीपुरा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

7. पेमाराम पुत्र रूघनाथ जाति कुमावत निवासी बबेरवालों की ढाणी, बाकली कोठी, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 41/2025 ब–उनवानी पेमाराम बनाम रूघनाथ को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित

1. श्री बबलू कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रामकिशन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 29.12.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 41/2025 ब–उनवानी पेमाराम बनाम रूघनाथ विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी शर्मा ने अन्डरटेकिंग पेश की एवं अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बावत घोषणा एवं खातेदारी अधिकारों मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 व 4 को पेश कर अंतरिम आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 जो कि एक राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, जो धनबल व बाहुबल में अधिक है तथा अपने राजनैतिक पहुंच व धनबल के चलते पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में ले रखा है। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.04.2025 को खारिज करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 खुलेआम यह जाहिर तौर पर कह रहे है कि उक्त हस्तगत प्रकरण का फैसला उनके पक्ष में ही होगा तथा आए गांव चौपाल में भी बात करते नजर आ रहे है कि हस्तगत प्रकरण में फैसला किसी भी सूरत में प्रार्थी के पक्ष में नहीं होगा, हम अंतरिम निषेधाज्ञा खारिज करवा कर रहेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी देने से भी प्रार्थी को पूर्ण संदेह हो गया कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा प्रार्थी को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 3 एवं 6 के अधिवक्ताओं ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार एवं छोटी–छोटी तारीख पेशी दिए जाने पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner